न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 142/2020 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2020/00139

नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मण शर्मा पुत्र श्री छोगाराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 19 सूरतगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री बहादुरराम सुथार – अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेश बैद – अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांक 28.04.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 06.11.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 485/19 की 6.325 हैक्ट. टीसी आवंटित भूमि है जो रेडाराम को आवंटित थी। रेडाराम का दिनांक 10.05.1982 को देहान्त हो गया। तत्पश्चात् उक्त विवादित रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटी का जायज वारिस मानकर नगर पालिका सूरतगढ़ द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र के आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने आदेश दिनांक 06.11.2019 पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 06.11.2019 द्वारा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 31.08.2006 को निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 06.11.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बहादुर राम सुथार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2019 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जैर अपील रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 485/19 का 25 बीघा रकबा है जो पूर्व केवल एक वर्ष के लिए बिना कमेटी के गठन के टीसी आवंटन नियमों के विरूद्ध अस्थाई आवंटी रेडाराम को हुआ था। सम्वत् 2043 के बाद उक्त विवादित रकबा का नवीनीकरण कभी नहीं हुआ। रेडाराम के फौत हो जाने के पश्चात् उक्त विवादित रकबा का टीसी आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई काश्त लिज) के अनुसार यदि टीसी आवंटी फौत हो जाता है तो टीसी आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 जो टीसी आवंटी के जायज वारिस कतई नहीं है। इनको यह रकबा कभी भी टीसी आवंटन नहीं हुआ व टीसी का आवंटन खातेदारी अधिकारों की तरह जायज वारिसों में निहीत नहीं होता तथा मृतक के जायज वारिसान को यह रकबा आवंटीत ही नही हुआ है। रेस्पोडेन्ट ने उक्त रकबा के टीसी आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र ही पेश नहीं किया। उक्त रकबा नगर पालिका सूरतगढ़ की 2 किमी की परिधि में होने से पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण न तो खातेदारी अधिकार मिल सकते है और न ही टीसी आवंटन का नवीनीकरण किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये कानूनी प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किये गये। अधिनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर पेश हुई थी। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 जयपुर के परिपत्र दिनांक 15.12.2005 एवं दिनांक 08.02.2006 प्रस्तुत किये। उक्त विवादित रकबा का कब्जा दिनांक 06.09.2006 को तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश से नगर पालिका सूरतगढ़ को स्थानान्तरित हो गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री राजेश बैद ने बहस के दौरान कथन किया कि नगर पालिका सूरतगढ़ का विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में नगर पालिका सूरतगढ़ पक्षकार नहीं है। अपीलांट का यह पक्ष है कि उक्त विवादित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आने से उक्त रकबा पर अपीलांट का अधिकार है, जो अनुचित है। विवादित रकबा का टीसी आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मामा रेडाराम के नाम गिरदावरी में अंकित है। वर्तमान में आवंटी के वारिसान मौके पर काबिज है। अपीलांट का राजस्व रिकार्ड में कभी भी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अंकन नहीं हुआ है। तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ़ द्वारा जारी पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण खारिज किये गये रकबा की सूची में क्रम संख्या 170 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम अंकित है। अपीलांट द्वारा दौराने बहस जिन परिपत्रों का हवाला दिया गया है, वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। नगर पालिका सूरतगढ़ को अपील करने का लोकस्टेण्डाई नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 485/19 की 6.325 हैक्ट. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मामा रेडाराम पुत्र छोगाराम के नाम टीसी आवंटीत भूमि है। इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर से प्रकरण में मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मय फोटोग्राफ चाहने पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक रीडर/2022/114 दिनांक 27.04.2022 द्वारा यह स्पष्ट किया कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 693/485 (485/19) की 25 बीघा (6.325 हैक्ट.) बारानी भूमि रेडाराम पुत्र छोगाराम जाति ब्राह्मण के नाम टीसी दर्ज रिकार्ड है। टीसी आवंटन का अंकन खसरा गिरदावरी में हो चुका हैं व उक्त रकबा की नक्शा मे तरमीम भी हो चुकी है। मौके पर टीसी आवंटी के वारिसान काबिज है।

उपरोक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि केवल मात्र पैराफेरी क्षेत्र में आ जाने से आवंटी के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। हम अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 06.11.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 06.11.2019 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर